



2026:AHC:168305

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8137 वर्ष 2026

संदीप कुमार श्रीवास्तव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक मिश्रा, मृगराज सिंह, प्रखर सारण श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक - **संदीप कुमार श्रीवास्तव** को मुकदमा अपराध संख्या 0017 वर्ष 2020, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए, 120-बी, 34 भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), थाना- ई.ओ.डब्ल्यू. वाराणसी सेक्टर, जनपद- वाराणसी में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक जिला पंचायत, जौनपुर में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत था और यह पाया गया है कि निर्मित की जा रही सड़क के संबंध में श्रम उपस्थिति पत्रक तैयार किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि श्रमिकों के बयान अभिलिखित किए गए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि सड़क का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2020

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में वर्ष 2004-05 में किए गए अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई थी। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसका वर्तमान मामले से कोई सरोकार नहीं है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे हैं। आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक ने इस आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र के प्रस्तर 43 में अपने आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा। आवेदक को पुलिस द्वारा किसी भी समय गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु तथ्यों के विवरण से विवाद नहीं किया।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि प्रश्नगत अपराध का समाज में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि उक्त कृत्य से समाज को क्षति पहुँचती है। आरोप व्यक्तियों के मध्य विवाद से उत्पन्न हुए हैं। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता ऐसी है कि जिसके कारण आवेदक अग्रिम जमानत की राहत से वंचित हो जाए। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह आशंका भी व्यक्त नहीं की है कि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की स्थिति में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्ण विवेचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य, परिस्थिति अथवा चिंता प्रदर्शित नहीं की गई है कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि उसका खुले में रहना मात्र ही साक्षियों को भयभीत करेगा अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय के मार्ग को बाधित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

6. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त की ओर संकेत किया है। पूर्व के आपराधिक मामलों में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ अथवा साक्षी को भयभीत किए जाने के संबंध में इस न्यायालय के संज्ञान में कोई सामग्री या परिस्थिति नहीं लाई गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. **अश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एस.सी.सी. 446** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तर 30 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:- “हम शीघ्रता से यह जोड़ना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि अभियुक्त आपराधिक अभिलेख वाला व्यक्ति है, तो हमारा यह आशय नहीं समझा जाना चाहिए कि आपराधिक अभिलेख वाला व्यक्ति कभी भी जमानत पाने का अधिकारी नहीं है। किन्तु, जिस अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कारक है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।”

8. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित होना, अपने आप में, जमानत से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता।

9. जहाँ तक आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का संबंध है, राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक विवेचना में छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अन्यथा उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, या यह कि वह विचारण से पूर्व अथवा उसके दौरान साक्षियों को भयभीत कर सकता है। राज्य ने ऐसी कोई सामग्री भी प्रस्तुत नहीं की है कि आवेदक ने पूर्व में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। यदि अभियुक्त अन्यथा जमानत का अधिकारी पाया जाता है, तो केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर उसे जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता। आपराधिक पूर्ववृत्त के आधार पर अभियुक्त को जमानत से वंचित करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की गई है। अतः न्यायालय इस आधार मात्र पर आवेदक को जमानत से वंचित करना उचित नहीं समझता कि उसका आपराधिक पूर्ववृत्त रहा है।

10. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण सामग्री या परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की गई है, जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक न्याय से फरार हो जाएगा अथवा न्याय की प्रक्रिया को विफल करेगा अथवा पुनः अपराध करने या साक्षियों को भयभीत करने आदि के रूप में अन्य कोई समस्या उत्पन्न करेगा।

11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, इस आदेश के प्रस्तर 1 में वर्णित अपराध के संबंध में आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है। आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की संतुष्टि पर 25,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो।

(iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो आवेदक नए आवासीय पते की सूचना संबंधित न्यायालय/विवेचक अधिकारी को लिखित रूप में देगा।

(v) आवेदक विवेचना में सहयोग करेगा तथा जब भी आवश्यक हो, पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

(vi) आवेदक पुलिस की विवेचना में बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा तथा पुलिस द्वारा एकत्र किए गए या अभी एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(vii) आवेदक विधि एवं व्यवस्था बनाए रखेगा।

(viii) बंधपत्र निष्पादित करते समय आवेदक अपना पता एवं मोबाइल नंबर विवेचक अधिकारी तथा संबंधित न्यायालय को उपलब्ध कराएगा।

(ix) आवेदक विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा उपर्युक्त अपराधों के विचारण को पूर्ण करने में न्यायालय के साथ सहयोग करेगा।

(x) संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक अथवा उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति को वर्तमान आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार बलपूर्वक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विवेचक अधिकारी को आवेदक को प्रदान की गई संरक्षण की सुविधा निरस्त किए जाने हेतु समुचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

13. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

11 अगस्त, 2026

भास्कर

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।